लग्जरी कार में चलने वाले दंपति 60 लाख की हेरोइन के साथ पकड़े

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ ने हेरोइन सप्लाई करने के मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में राजकुमार उर्फ बुलबुल (32) और इसकी पत्नी मरियम (24) है। दंपति मोती नगर, दिल्ली के रहने वाले है। आरोपी राजकुमार ने बताया कि वह गैंग का सरगना है। पुलिस की माने तो आरोपी बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करते थे। पुलिस ने दोनों के पास से 60 लाख रुपये की हेरोइन और एक लग्जरी कार बरामद की है। पुलिस दंपति से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (नॉर्थ) अंटो अल्फोंस ने बताया कि शनिवार को स्पेशल स्टाफ में तैनात एसआई विनीत को सूचना मिली कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक दंपति गाजियाबाद से दिल्ली के मोती नगर की ओर जाएगे। सूचना मिलते ही एक टीम बनाई गई। टीम

खास बातें

- आरोपियों के पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद
- बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली में करते थे सप्लाई

ने वजीराबाद, पुराने यमुना पुल पर मौके पर पहुंचकर वाहनों की जांच शुरू कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सुरघाट के पास एक लग्जरी कार को जांच के लिए रोका। कार में दंपति सवार थे। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को कार के अंदर से एक पीले रंग की पॉलिथीन के अंदर से 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

आरोपियों की पहचान राजकुमार और मरियम के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ तिमारपुर थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

पहले मां के साथ काम करती थी मरियम

पूछताछ के दौरान आरोपी मरियम ने पुलिस को बताया कि वह बरेली के फतेहगंज में इस्रार नामक शख्स से हेरोइन खरीदकर दिल्ली लाते हैं। इसके बाद वह हेरोइन को साउथ दिल्ली में सप्लाई करते थे। वह पहले अपनी मां के साथ मादक पदार्थ की तस्करी करती थी। बाद में वह पति के साथ यह काम करने लगी।

क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था आरोपी की मां को

पुलिस ने बताया कि पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए आरोपी अपनी पत्नी को हमेशा साथ रखकर हेरोइन सप्लाई करता था। लग्जरी गाड़ी देखकर भी पुलिस उस पर कम शक करती थी। मरियम की मां भी मादक पदार्थों की बड़ी तस्कर है। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह पैरोल पर बाहर चल रही है।

खबर संक्षेप

बड़े भाई के घर से चुराई थी सोने चांदी की जूलरी

नई दिल्ली। दक्षिण जिले की संगम विहार पुलिस ने एक चोरी के केस को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नवजीवन कैंप गोविंदपुरी निवासी 34 वर्षीय अमित कुमार बताया गया है। इसके पास से चुराई गई सोने और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 24 मई को हरीश कुमार नामक शख्स ने गुर्जर चौक इलाके में अपने घर से ज्वेलरी आइटम चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित परिवार एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए गया था। उसी बीच चोरों ने इस घर में हाथ की सफाई दिखाई थी। एंटी स्नेचिंग टीम के हेड कांस्टेबल हंसराज, कॉन्स्टेबल चेतन व बलकार की टीम ने छानबीन शुरू की। आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी की जांच की गई। पुलिस को दो संदिग्ध व्यक्तियों पर शक हुए। 28 मई को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए एक शख्स की परिवार के लोगों से पहचान करवाई गई। परिवार ने फुटेज में दिखाई दिए गए व्यक्ति की पहचान अमित के रूप में की। अमित शिकायतकर्ता का बड़ा भाई है और वह गोविंदपुरी में अलग रहता था। पुलिस द्वारा अमित के घर की तलाशी लेने पर वहां से चुराई ज्वेलरी बरामद हो गई। अमित को गिरफ्तार कर लिया गया।

दो भगोड़े बदमाश हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली। मंदिर मार्ग पुलिस ने दो भगोड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम रत्नेश अंगियार (36) और कामरान बहादुर (36) बताए गए हैं। पुलिस को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के एक मामले में इन दोनों की तलाश थी। डीसीपी ईश सिंघल ने बताया कि 2011 में संसद मार्ग पर दंगे के संबंध में एक केस दर्ज किया गया था। कुछ दिन ट्रायल के बाद दोनों आरोपियों ने कोर्ट में पेश होना बंद कर दिया था। इनमें एक को 27 नवंबर 2015 और दूसरे को 4 अक्टूबर 2019 को प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया गया था। हाल ही में मंदिर मार्ग थाने के सब इंस्पेक्टर जय सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंदर सिंह और हेड कांस्टेबल चंद्रहास की टीम को रत्नेश के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद इसे आर्य समाज मंदिर, मंदिर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी कामरान बहादुर को उसके अलीगढ़, यूपी स्थित घर से गिरफ्तार किया गया।

चोरी करते पकड़े जाने पर लाठी-डंडों से मारा था

चोर की पिटाई से मौत तीन लोग गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ⏭ नई दिल्ली

दक्षिण पश्चिम जिले की पालम पुलिस ने एक चोर की पिटाई से मौत के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 घंटों के भीतर पकड़े गए तीनों लोगों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए तीन लाठी-डंडे भी बरामद कर लिए हैं। एक ऑटो भी जब्त किया गया है जिसमें मृतक की बॉडी मिली थी। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के नाम मोहम्मद साबिर, रामसेवक यादव और चमन राय हैं।

डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को साध नगर पार्ट 2 की गली नंबर 45 में एक टीएसआर ऑटो में एक शख्स मृत पाया गया था। उसके शरीर पर ताजे पिटाई के जख्म थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 201 और 34 के तहत पालम थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर ए टी ओ योगेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू की। पुलिस खून के धब्बों के सहारे साध नगर के एक घर तक पहुंची। घर के फर्श पर भी खून के

- 15 से अधिक मामलों में शामिल था मृतक

धब्बे लगे थे, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। पुलिस को वहां मौजूद आसपास के 6 कमरों पर ताले लटके मिले।

जांच में मृतक की पहचान गुड़गांव के रहने वाले नंदकिशोर उर्फ नन्ही के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि आरोपी चोरी के इरादे से एक घर में घुसा था। जहां पर साबिर, रामसेवक और चमन ने लाठी-डंडों से उसकी जमकर पिटाई की थी। बाद में उसे छोड़ दिया था। छूटने के बाद नंदकिशोर एक ऑटो में बैठा था जहां उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक पेशेवर अपराधी था और करीब 15 मामलों में उसकी संलिप्तता थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी गरीब परिवार से है और जीवन यापन के लिए किराए पर ई रिक्शा लेकर चलाते हैं। इनकी पहले के किसी मामले में संलिप्तता नहीं मिली है।

मर्डर केस में फरार छठा आरोपी दबोचा

नई दिल्ली। द्वारका जिले की बिंदापुर पुलिस ने गत वर्ष चाकू मारकर की गई हत्या के एक मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भगवती विहार, उत्तम नगर निवासी नजीर बताया गया है। पुलिस ने इसे 28 मई को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस केस में तीन नाबालिग समेत पांच आरोपी पहले पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।

- तीन नाबालिग समेत पांच पहले चढ़ चुके हैं हत्थे

डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि जिले में लगातार पुलिस अफसरों को नामी बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही ई बीट बुक के सहारे भी बदमाशों पर नजर रखी जा रही है। जेल से जमानत पर छूटने वाले बदमाशों के बारे में भी बीट स्टाफ को लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है। पिछले साल 11 सितंबर को राजापुरी इलाके में अमित नामक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोद दिया था। अमित की मां जसोदा ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बेटे को भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई स्वरूप तीन नाबालिगों को पहले पकड़ लिया था। तीनों भगवती विहार, उत्तम नगर के रहने वाले थे। इनकी निशानदेही पर भगवती विहार के ही रहने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके नाम सागर और निखिल थे। एक आरोपी लगातार फरार चल रहा था। हाल ही में इंस्पेक्टर एटीओ संजय कुमार को इसके बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद 28 मई को आखिरी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

चीटिंग केस में वांटेड एक लाख का इनामी मणिपुरी अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज़ ⏭ नई दिल्ली

- स्पेशल सेल ने मणिपुर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में की कारवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कंगुजम कनार्जित उर्फ डॉ के.के. सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक लाख रुपए के इस इनामी अपराधी को मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा गया है। इसकी चीटिंग के मामले में पुलिस को तलाश थी। इसे साल 2016 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था।

पुलिस से बचने के लिए वह दिल्ली में रह रहा था। आरोप है कि इसने क्लाइमेट चेंज के नाम पर देश विदेश से जारी होने वाले फंड में गबन किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई फर्जी दस्तावेजों, फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग करके खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हस्ती बताता था। इसने अंतरराष्ट्रीय युवा समितियों के नाम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय छात्रों से काफी मोटी रकम प्राप्त की थी। कई सेमिनार के मार्फत भूकंप पीड़ितों यानी भूकंप के दौरान मृतकों के परिजनों को मदद करने और अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन के नाम पर राहत -बचाव करने के नाम पर लाखों रुपये की अवैध उगाही की। अवैध तौर पर चंदे की उगाही करने के बाद जब उसके काले कारनामों की पोल खुली तो यह मणिपुर से फरार होकर दिल्ली आ गया। आरोपी को इम्फाल ईस्ट कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2016 को भगोड़ा घोषित किया गया था।

रुपयों के लेन-देन में साले ने जीजा पर किया धारदार हथियार से हमला

नई दिल्ली। दयालपुर थाना इलाके में रुपये के लेनदेन को लेकर एक साले ने अपने जीजा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं जब घायल की पत्नी पीड़ित को बचाने आई तो आरोपी ने उसे भी धक्का देकर घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चला है। घायल का नाम आसिफ है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग
बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला
वेबसाइट अर्थात www.hpsc.gov.in

घोषणा

हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन, अभ्यावेदन प्रबंधन, प्रवेश पत्र इत्यादि की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मो/समितियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इसकी निविदा आईडी 2021_HRY_172956_1 है और निविदा संदर्भ सं. HPSC/e-tender/1002 है, और विस्तृत निविदा प्रपत्र वेबसाइट https://etenders.hry.nic.in/ से डाउनलोड किये जा सकते हैं। बोलियां जमा करवाने हेतु अंतिम तिथि 17.06.2021 है। बोलीदाताओं हेतु निर्देश https://etenders.hry.nic.in/nicgep/app?page=HelpForContractors&service=page पर उपलब्ध हैं।

स्थान: पंचकुला — हस्ता/-सचिव
दिनांक: 31.05.2021 — हरियाणा लोक सेवा आयोग
संवाद विज्ञा. सं. 1156/13/18/2022/3124/88/7 दि. 31.05.21 — पंचकुला

सुशील व अजय को हरिद्वार और ऋषिकेश लेकर गई क्राइम ब्रांच

हरिभूमि न्यूज़ ⏭ नई दिल्ली

- सबूतों को नष्ट करने की धारा भी केस में जुड़ेगी

सागर धनकड़ मर्डर केस में सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस पर अब सबूतों को नष्ट करने की धारा 201 को भी केस में शामिल किये जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि पुलिस सुशील के मोबाइल और घटना के वक्त पहने हुए कपड़ों को बरामद नहीं कर सकी है। क्राइम ब्रांच की टीम इसी सिलसिले में सुशील और अजय को हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून लेकर गई थी, जहां से उसके हाथ मामले से संबंधित कुछ हाथ नहीं लगा।

सोमवार सुबह सुशील और अजय के साथ हरिद्वार पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग-अलग जगहों पर केस से संबंधित सबूतों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। हर की पौड़ी पर भी सुशील कुमार को लेकर पहुंची। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी फोन नहीं मिल सका। सागर धनखड़ की मौत होने के बाद सुशील अपने सहयोगी अजय के साथ सबसे पहले हरिद्वार ही गया था। जहां वह पुलिस से बचने के लिए छिप गया था। बताया गया है सुशील ने अपना मोबाइल फोन हर की पौड़ी के पास फेंक दिया था। पुलिस ने सुशील के उन कपड़ों की भी तलाश की जो उसने 4 मई की रात पहन रखे थे। सुशील को ऋषिकेश के उस फ्लैट पर भी ले जाया गया था। जहां पर वह रुका था। इसके बाद उसे देहरादून भी ले जाया गया था। इस दौरान उससे यह जानने की कोशिश कि वह किन जगहों पर रुका था और उसकी किन लोगों ने मदद की थी।

हत्या व डकैती मामले में वांटेड बदमाश समेत दो आरोपी अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम विजय उर्फ ब्रिजेश उर्फ जाट (32) और मोहित (22) है। इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही पकड़ चुकी है। पुलिस की माने तो आरोपी विजय सुभाष पैलेस इलाके में हत्या के एक मामले में और डाबड़ी इलाके में डकैती के एक मामले में वॉटेड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, दो मैगजीन, सात कारतूस, दो बाइक, पांच मोबाइल फोन बरामद किए है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस दो मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी (नॉर्थ-

वेस्ट) उषा रंगनानी ने बताया कि गत 30 नवंबर 2020 में पुलिस ने हत्या का एक मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने मृतक पर चाकू और ब्लेड से हमला किया था।

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया था। पुलिस इस मामले में दोनों मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएचओ आशीष दलाल की देखरेख में एक टीम बनाई गई। फरार आरोपी लगातार पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहे थे। इसी

- एक पिस्टल, दो मैगजीन, सात कारतूस, दो बाइक, पांच मोबाइल फोन बरामद
- पुलिस से बचने के लिए लोकेशन बदल रहे थे आरोपी

बीच पुलिस टीम को रविवार को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी विजय पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास आने वाले है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ब्रिटानिया चौक, पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास ट्रैप लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी विजय को मौके पर आते ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, दो मैग्जीन, सात कारतूस व एक बाइक बरामद हुई।

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह नवजात बच्ची को एक महिला ने दिनांक 21.04.2021 को पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में जन्म दिया और पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में लावारिस हालत में छोड़कर चली गयी जिसकी सूचना थाना पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक को दी गयी। बच्चे को पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में उपचार उपरांत दिनांक 10.05.2021 तक रखा गया। दिनांक 11.05.2021 को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार शिशु बाल आश्रम फरीदाबाद भिजवाया गया।

अगर इस बच्चे के माता-पिता/अभिभावक इस सूचना को पढ़ रहे हैं या उसे इस बारे में किसी अन्य सूत्रों से पता चलता है तो इस विषय में 15 दिनों के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, रोहतक में सम्पर्क कर सकते हैं अन्यथा इस मामले में बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कार्यालय का पता है :- जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा नं. 218, जिला विकास भवन, रोहतक, सम्पर्क सूत्र : 01262-252920

पीआरडीएच-1128/11/53/2022/3123/88/7 दि. 31.05.21

करोल बाग स्थित पीपी ज्वेलर्स को लगाया था दो करोड़ 20 लाख का चूना

देशभर में लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले दंपति गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

करोल बाग थाना पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपनी जुआ खेलने की लत को पूरा करने के लिए ठगी का रास्ता अपना लिया। आरोपी दंपति देशभर में कई लोगों के साथ ठगी कर चुके है। इसके अलावा आरोपियों ने करोल बाग स्थित पीपी ज्वेलर्स को दो करोड़ 20 लाख रुपये का चूना लगाया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दंपति को गुरुग्राम के सेक्टर-46 से दबोच लिया। आरोपियों में ऋषभ सूरी (26) और इसकी पत्नी तान्या सूरी (22) है। पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (सेंट्रल) जसमीत सिंह ने बताया कि गत 26 मार्च को करोल बाग स्थित पीपी ज्वेलर के मैनेजर नवीन

मल्होत्रा ने थाने में दो करोड़ 20 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दी । शिकायत में नवीन ने पुलिस को बताया कि उनके शोरूम पर ऋषभ सूरी, उसकी पत्नी तान्या और एक अधेड़ शख्स विजय वर्मा जिसे तान्या अपना पिता बताती थी, वह आते थे। वह शोरूम से जेवरात खरीदते और पेमेंट करके चलते जाते थे। कई बार इन लोगों ने पूरी पेमेंट भी की। इसके बाद आरोपी एक दिन घर में कार्यक्रम की बात कहकर उनके शोरूम से चार किलो 82 ग्राम सोने के जेवरात ले गए। इसके बाद आरोपियों ने एक सप्ताह में पेमेंट की बात की, लेकिन रुपये नहीं दिए गए। सोना लेने के बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसीपी विदूशी कौशिक की देखरेख में एक टीम बनाई। टीम में एसएचओ मनिंदर, एसआई मोहित व हवलदार दिलशाद व पुलिसकर्मी मौजूद रहें। पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। टीम ने गुप्त सूचना के बाद शनिवार को आरोपियों को सेक्टर-46, गुरुग्राम की एक सोसाइटी से दबोच लिया।

जुएं में सब कुछ हारने के बाद करने लगे ठगी

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों दिल्ली के अलग-अलग इलाके में ठीक-ठाक घरों के रहने वाले हैं। ठगी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ऋषभ की दोस्ती तान्या से हुई। दोनों को सट्टा खेलने की लत थी। दोनों ने भागकर शादी कर ली। शुरुआत में दोनों ने ठीक-ठाक पैसा कमाया और महंगी गाड़ियां, बाउंसर रखना, सब कुछ किया। सब कुछ हारने के बाद दोनों बाकी लोगों के साथ मिलकर ठगी करने लगे।

- सट्टे में सब कुछ हार गए थे आरोपी
- पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कूटी की बरामद

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली-110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें] (राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		अंकेक्षित	अअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
		31 मार्च 2021	31 दिसम्बर 2020	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	प्रचालनों से कुल आय	919,583	1,003,425	115,227	3,788,647	1,635,332
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(1,471,988)	748,353	(2,295,980)	465,142	(3,303,343)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(1,471,988)	748,353	(2,295,980)	465,142	(3,303,343)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(1,471,992)	748,353	(2,295,980)	377,301	(3,294,457)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(1,471,992)	748,353	(2,295,980)	377,301	(3,294,457)
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	21,175,000	21,175,000	21,175,000	21,175,000	21,175,000
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				29,665,978	29,288,677
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	(0.70)	0.35	(1.08)	0.18	(1.56)

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये समाप्त त्रैमाहिक और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 07526355

दिनांक : 31 मई 2021
स्थान : दिल्ली